न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 10/2024
अनवान : –

1. विकास कुमार पुत्र भगवाना राम जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. भगवाना राम पुत्र मोहनलाल जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर।
2. सुखराम पुत्र मोहनलाल जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर।
3. मांगीलाल पुत्र सुखराम जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर।
4. महेन्द्र पुत्र सुखराम जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर।
5. चावली पत्नी मोहनलाल जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर।
6. तुलसी देवी पुत्री मोहनलाल जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर।
7. सुशीला पुत्री मोहनलाल जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर।
8. सावत्री पुत्री मोहनलाल जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर।
9. धापी पुत्री मोहनलाल जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर।
10. समेस्ता पुत्री भगवानाराम जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर।
11. सिलोचना पुत्री सुखराम जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादी**
श्री सुनील कटारिया अधिवक्ता **प्रतिवादीगण**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः-29/02/24

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–74 के खाता संख्या 463/456 की कुल 10.6100 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के खाता संख्या 466/459 की कुल 11.2050 हैक्ट भमि में से 4/5 हिस्सा भूमि वादी के दादा मोहनलाल पुत्र निराणाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मोहनलाल पुत्र निराणाराम के नाम दर्ज है जो कि वादी का दादा है मोहनलाल पुत्र निराणाराम का देहान्त हो चुका है मोहनलाल पुत्र निराणाराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी स0 1 ता 11 है जो मोहनलाल पुत्र निराणाराम के नाम दर्ज भूमि को अपने हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 5, 6 ता 9, 10 ता 10 उक्त वाद भूमि को कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है बाद हक त्याग रोही मौजा कानसर के खाता संख्या 466/[illegible] की कुल 11.2050 हैक्ट भूमि में से 4/5 हिस्सा भूमि में से 2/5 हिस्सा भूमि पर [illegible] भूमि पर प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 बहिब काबिज है तथा रोही मौजाा कानसर के खसरा संख्या 126 की [illegible] हैक्ट भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 व 5 बहिब काबिज है तथा खसरा संख्या 829/2 की कुल 2.453 हैक्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 17:56:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 बहिब काबिज है। वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 11 की तरफ से श्री सुनील कटारिया अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश कर इकबाल जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 11 को कोई एतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 12 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो कि शामिल मिसल किया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी रोही मौजा कानसर खाता संख्या 466/459, 463/456 व मृत्यु प्रमाण पत्र बहक मोहनलाल उर्फ मोहनराम व शपथ पत्र बाबत सदस्य आदि दस्तावेज पेश किये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादी के दादा के नाम दर्ज है वादी के दादा मोहनलाल उर्फ मोहनराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 11 है जो की उक्त वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवाना चाहते है। प्रतिवादी संख्या 5, 6 ता 9, 10 ता 10 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिकी फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड अनुसार रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–74 के खाता संख्या 463/456 की कुल 10.6100 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के खाता संख्या 466/459 की कुल 11.2050 हैक्ट भमि में से

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 17:56:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

4/5 हिस्सा भूमि वादी के दादा मोहनलाल पुत्र निराणाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादी का कथन है कि वादी के दादा मोहनलाल पुत्र निराणाराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 है। प्रतिवादी संख्या 5, 6 ता 9, 10 ता 10 ने उक्त वाद भूमि में अपना जो भी हक हिस्सा है त्याग कर शुन्य कर लिया है, वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 द्वारा स्वीकार किया जाकर इकबाल जवाब पेश किया जा चुका है तथा उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से पैतृक कृषि भूमि होना साबित है। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ के आधार पर एवं पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा मोहनलाल उर्फ मोहनराम पुत्र निराणाराम के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के खाता संख्या 466/459 की कुल 11.2050 हैक्ट भमि में से 4/5 हिस्सा भूमि में मृतक मोहनलाल उर्फ मोहनराम पुत्र निराणाराम का नाम कलमजन किया जाकर 2/5 हिस्सा भूमि का वादी व शेष 2/5 हिस्सा भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 4 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के खाता संख्या 463/456 की कुल 10.6100 हैक्ट भूमि में मोहनलाल उर्फ मोहनराम पुत्र निराणाराम का नाम कलमजन किया जाकर खसरा संख्या 126 की कुल 8.157 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 व 5 को बहिब तथा खसरा संख्या 829/2 की कुल 2.453 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 29/02/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 17:56:22 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 10/2024

अनवान : –

1. विकास कुमार पुत्र भगवाना राम जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. भगवाना राम पुत्र मोहनलाल जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर।
2. सुखराम पुत्र मोहनलाल जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर।
3. मांगीलाल पुत्र सुखराम जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर।
4. महेन्द्र पुत्र सुखराम जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर।
5. चावली पत्नी मोहनलाल जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर।
6. तुलसी देवी पुत्री मोहनलाल जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर।
7. सुशीला पुत्री मोहनलाल जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर।
8. सावत्री पुत्री मोहनलाल जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर।
9. धापी पुत्री मोहनलाल जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर।
10. समेस्ता पुत्री भगवानाराम जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर।
11. सिलोचना पुत्री सुखराम जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 10 सन 2024 निर्णय दिनांक – 29/02/24

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र कुमार गोदारा एवं वकील प्रतिवादी श्री सुनील कटारिया तथा राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के खाता संख्या 466/459 की कुल 11. 2050 हैक्ट भमि में से 4/5 हिस्सा भूमि में मृतक मोहनलाल उर्फ मोहनराम पुत्र निराणाराम का नाम कलमजन किया जाकर 2/5 हिस्सा भूमि का वादी व शेष 2/5 हिस्सा भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 4 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के खाता संख्या 463/456 की कुल 10.6100 हैक्ट भूमि में मोहनलाल उर्फ मोहनराम पुत्र निराणाराम का नाम कलमजन किया जाकर खसरा संख्या 126 की कुल 8.157 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 व 5 को बहिब तथा खसरा संख्या 829/2 की कुल 2.453 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 29/02/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 17:56:22 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर